।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 7019 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, जून 27 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषयः– **जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत विकासखण्ड नारायणबगड़ में फारकोट से डुडवागाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.61 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– आपका पत्रांक 1657/12–1 दिनांक 17.02.2024.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में चाही गयी बिन्दुओं की सूचना प्रस्तावक विभाग अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली की पत्र सं0 434/36सी0 दिनांक 15.03.2024 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित किया गया है:–

क्र.सं.	प्रस्ताव में चाही गयी सूचना	आख्या
1	प्रस्ताव में के0एम0एल0 फाइल का अवलोकन करने पर पाया गया है कि जिन गांवो के लिये मोटर मार्ग प्रस्तावित किया जा रहा है वे गांव पूर्व में ही मोटर मार्ग से जुड़े प्रतीत होते है का विस्तृत औचित्य।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के के0एम0एल0 फाईल में जिन गांवो के लिये मोटर मार्ग प्रस्तावित किया जा रहा है वे गांव पूर्व से ही मोटर मार्ग से जुड़े प्रतीत होते है के सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार है:– प्रस्तावित मोटर मार्ग कर्णप्रयाग ग्वालदम अल्मोड़ा मोटर मार्ग के नलगांव भटियाणा मोटर मार्ग के किमी0 02 से प्रारम्भ होता है व इस मोटर मार्ग की लम्बाई 4 किमी0 है यह मोटर मार्ग बनने से ग्राम फारकोट, भैंसवाड़ा गेट सोल्टा, डडुवागाड तुनेड़ा चोपता ग्रामो को जोड़ेगा, उक्त मोटर मार्ग के बनने से ग्रामो को ब्लांक मुख्यालय नारायणबगड़ से दूरी 15 किमी0 कम तय करनी पड़ेगी तथा ग्राम वासियो को जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में अपने उपचार करने में कम दूरी तय कर समय पूर्व अपना उपचार किया जा सकेगा। इस मार्ग के बन जाने से क्षेत्र को अधिक से अधिक जनसंख्या को लाभ मिलेगा।
2	प्रस्ताव में 0–10 व्यास वर्ग के वृक्षो की गणना करने हेतु कहा गया है।	संशोधित वृक्षो की सूची प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है तथा ऑनलाईन पार्ट ।। के Additional information में भी अपलोड कर दिया गया है।
3	प्रस्तावित मोटर मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में भू–चिन्हांकन व 25मी0 दूरी में पिल्लर बन्दी करने हेतु कहा गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में भू–चिन्हांकन व 25मी0 दूरी में पिल्लर बन्दी कर ली गयी है।
4-	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है।	
	In respect of linear project the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of wildlife management plan and soil and moisture conservation plan as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022 will beproportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans whichever's is more should be charge from the user agency	वन्यजीवों का प्रबन्धन एवं मृदा जल संरक्षण योजना प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
	The provisions of wildlife management plan and soil moisture conservation plan shall be approved by the competent authority in the state and accordingly the deficit amount if any from the money already realized from to the tune of 2% and or 0.35% of project cost proportionate to the extent of forest land involved shall be paid by the user agency and the same shall be deposited in to the CAMPA account.	

अतः आपसे अनुरोध है उक्त प्रकरण में अपने स्तर से वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नकः– प्रस्ताव की 04 प्रतियां।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 7019 /12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।